



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक-19.09.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस एवं सर्विलांस बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 725/23 धारा 302 भादवि का 08 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्टील का कडा बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.09.2023 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी मेमपाल पुत्र श्री धन्नू निवासी ग्राम बली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त राहुल पुत्र बिल्लू उर्फ लवकेश निवासी ग्राम हरचन्दपुर थाना कोतवाली बागपत द्वारा वादी के भाई पवन उर्फ गुरुजी की हत्या कर दी गई । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 725/23 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस एवं सर्विलांस बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 725/23 धारा 302 भादवि का 08 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 स्टील का कडा बरामद हुआ है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राहुल पुत्र बिल्लू उर्फ लवकेश निवासी ग्राम हरचन्दपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त राहुल ने पूछताछ पर बताया कि कल मैं और मृतक पवन उर्फ गुरुजी शहदरा से ट्रेन से आ रहे थे हम दोनों ने ट्रेन में ही शराब का सेवन किया था, जिसके बाद हम दोनों टटीरी स्टेशन पर उतर गये थे और वहाँ पर भी शराब पी थी । फिर हम दोनों गांव की तरफ चल दिये, गांव बली के पास पहुँचने पर उक्त पवन उर्फ गुरुजी मेरे साथ गलत हरकत करने लगा, मैंने उसे कई बार मना किया लेकिन वह नहीं माना तथा बार-बार यह हरकत करता रहा । इस लिए मैंने गुरुसे में अपने हाथ में पहने कडे को निकाल कर मृतक पवन उर्फ गुरुजी के सिर पर कई बार वार किये जिससे उसके मृत्यु हो गई । उसके बाद मैं वहाँ से भाग गया था ।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक स्टील का कडा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र0नि0 श्री अनिल कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री ब्रजेश पौनिया थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री नितिन कुमार पाण्डेय प्रभारी सर्विलांस बागपत मय टीम ।
- 4-है0का0 422 राजन थाना कोतवाली बागपत ।
- 5-का0 846 नरेन्द्र थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक-19.09.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 724/23 धारा 302 भादवि का 08 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.09.2023 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी प्रताप सिंह पुत्र स्व0 श्री पूरन सिंह निवासी ग्राम जहानाबाद जनपद बिजनौर ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1-विकास पुत्र रामकुमार, 2-सुनील पुत्र रामकुमार व एक महिला निवासीगण ग्राम गाधी थाना कोतवाली बागपत द्वारा उसकी पुत्री की हत्या कर दी गई । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 724/23 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 724/23 धारा 302 भादवि का 08 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुनील पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम गाधी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त सुनील ने पूछताछ पर बताया कि मेरे भाई शी लगीरी उर्फ जगमोहन पुत्र रामकुमार की शादी मृतक महिला के साथ हिन्दू रिति रिवाज से हुई थी, करीब 5 वर्ष पहले मेरे भाई शीलगीरी उर्फ जगमोहन' की मृत्यु बीमारी के कारण हो गई थी, उसके बाद से मृतक महिला और मैं पति पत्नी की तरह रह रहे थे। मेरे स्व0 भाई शीलगीरी उर्फ जगमोहन व मृतक महिला के 02 लडके हैं। मृतक महिला हमारे पुश्तैनी मकान को अपने बच्चों के नाम कराना चाहती थी जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता था, इसी बात को लेकर कल दिनांक 18.09.2023 को हमारे बीच झगडा हो गया था। मृतक महिला मेरे समझाने के बाद भी नहीं मानी इसके बाद मैंने गुरूसे में उसी के दुपट्टे से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र0नि0 श्री अनिल कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री आरिफ अली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3-का0 171 सोहनपाल थाना कोतवाली बागपत।
- 4-का0 874 सतेन्द्र थाना कोतवाली बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 19.09.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 664/23 धारा 420/406/506/467/468/471 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.08.2023 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी 1- प्रकाश चन्द पुत्र श्रीनिवास निवासी सैक्टर-78 नोएडा, थाना-सैक्टर-49, जनपद गौतमबुद्धनगर 2- श्रीकृष्ण पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण निवासी-सैक्टर-21, नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 01-विनोद कुमार पुत्र जयकरण, 2-अजय कुमार पुत्र जयकरण व 3-मनोज कुमार पुत्र जयकरण निवासीगण



आर्दश कालोनी कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत , 4-इकबाल , 5-नवाब निवासीगण कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत द्वारा धोखाधडी करके दूसरे के नाम की जमीन दिखाकर एग्रीमेन्ट में 60 लाख रुपये लेना , न तो रुपये वापस करना और न ही जमीन का बैनामा कराना तथा जान से मारने की धमकी देना । इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 664/23 धारा 420/406/506 भादवि का पंजीकृत किया गया था ।

उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान धारा 467/468/471 भादवि की वृद्धि की गई ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस

द्वारा थाने के मु0अ0सं0 664/23 धारा 420/406/506/467/468/471 भादवि में
वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

इकबाल पुत्र सलीमू निवासी ग्राम हरचन्दपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-निरी0 क्राइम श्री ओमप्रकाश आर्य थाना कोतवाली बागपत।

2-का0 556 इल्यास थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-का0 885 हरिओम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनाँक 19.09.2023

थाना बिनौली पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व

पता-

मिन्टूपाल पुत्र हरिकिशन निवासी चन्दायन थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्र०नि० श्री नोवेन्द्र सिंह सिरौही थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-उ०नि० श्री रजत कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3- है०का० 313 सत्यवीर शर्मा थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना छपरौली

दिनाँक 19.09.2023

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 213/2023 धारा 147/452/323/506
भादवि में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 17.09.2023 को थाना छपरौली पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त 1.सलीम पुत्र नजबू, 2.शाहिद पुत्र सलीम, 3.साहिल पुत्र सलीम, 4.सुहेल पुत्र सलीम, 5.एक महिला निवासीगण ग्राम शबगा थाना छपरौली द्वारा वादिया के घर में घुसकर वादिया तथा वादिया के पुत्र शिवम के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु०अ०सं० 213/2023 धारा 147/ 452/323 /506 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं०

213/2023 धारा 147/452/323/506 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सलीम पुत्र नजबू निवासी ग्राम शबगा थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री वृक्षपाल सिंह थाना छपरौली।

2-का0 953 अंकुल कुमार थाना छपरौली।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 19.09.2023

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 214/2023 धारा 452/354 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 214/2023 धारा 452/354 भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अरशद पुत्र लाल्ला निवासी पट्टी भुवाला कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री मौहम्मद आसिफ थाना छपरौली जनपद बागपत ।

2-का0 461रोहित भाटी थाना छपरौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट दिनाँक- 19.09.2023

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 1 किलो 114 ग्राम गांजा व खाली पाउच (गांजा पैक करने वाले) बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध गांजा तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है।



गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 1 किलो 114 ग्राम गांजा व खाली पाउच (गांजा पैक करने वाले) बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

हनीफ पुत्र फरीद निवासी पट्टी मादान करबा व थाना दोघट जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 1 किलो 114 ग्राम अवैध गांजा ।
- खाली पाउच (गांजा पैक करने वाले) ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री हरवीर सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-है०का० 36 हरविन्द्र थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-का० 99 राकेश कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दिनांक-19.09.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 627/22 धारा 379/411 भादवि में वांछित
02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 627/22 धारा 379/411 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



नोट- उपरोक्त अभियोग से संबंधित मोटर साइकिल स्प्लेन्डर नं० UP-17B-0805 को थाना दोघट पुलिस द्वारा पूर्व में बरामद किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.गोलू उर्फ गौरव पुत्र सतेन्द्र निवासी पट्टी मैदान पट्टी भोजान करबा व थाना दोघट जनपद बागपत।

2.अरविन्द पुत्र मालू निवासी पट्टी मैदान पट्टी भोजान करबा व थाना दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री अमित कुमार चौहान थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-है०का० 430 कुलदीप मोरल थाना बडौत जनपद बागपत ।

3-है०का० 542 अशोक कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दिनांक 19.09.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 1127/22 धारा 457/380 भादवि में
वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.12.2022 को थाना बडौत पर वादी अजय पुत्र दिनेश कुमार निवासी आर्य नगर करबा व थाना बडौत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.जमाल पुत्र फहीम, 2.अनीस निवासीगण पठानकोट करबा व थाना बडौत व एक बाल अपचारी ने उसकी फैक्ट्री से 03 लोहे की अहरन, 02 भट्टी के पंखे, 01 वैलडिंग मशीन, हथौडे, बसौली, 04 कटटे कोयला चोरी कर लिये है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु०अ०सं० 1127/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया।



उपरोक्त अभियोग में धारा 379 भादवि का विलोपन कर धारा 457/380 भादवि की वृद्धि की गई है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 1127/22 धारा 457/380 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना बडौत पुलिस द्वारा पूर्व में चोरी किया हुआ सामान बरामद कर एक बालअपचारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अन्य एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1.अनीश पुत्र शब्बीर निवासी मौहल्ला पठानकोट कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2.समीर पुत्र इन्तजार निवासी मौहल्ला पठानकोट कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री दिग्विजय सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-का0 949 विकास तालान जनपद बागपत।
- 3-का0 1043 सुनील यादव जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक:- 19.09.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 637/23 धारा 354/354क/323/504/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 637/23 धारा 354/354क/323/504/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

साजिद पुत्र नजमू निवासी औसिक्का थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

2-है0का0 226 धर्मेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 19.09.2023

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 256/2023 धारा
452/363/323/354/354ख/506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में वांछित 02
अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 256/23 धारा 452/363/323/354/354ख/506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में वांछित 0 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1.सूरज पुत्र गजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बूढपुर थाना रमाला जनपद बागपत।
- 2.कार्तिक पुत्र देवेन्द्र सिंह (काला) निवासी ग्राम बुढपुर थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री शिवकुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-का0 847 ब्रहमपाल सिंहथाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-का0 566 इन्द्राज सिंहथाना रमाला जनपद बागपत ।